संख्या:-352/उ0जी0स(2)/06/02-(52पे0)/2002

प्रेषक,

कुंवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 6 फरवरी, 2006

विषय- वित्तीय वर्ष 2005-06 में गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 5238/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक-03.12.2005 एवं पत्र संख्या 423/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक -01.02.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु उपलब्ध कराये गये अनु0 लागत रू0 837.87 लाख के प्राक्कलन पर टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणोपरान्त संलग्न मदवार विवरणानुसार औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि अनु0 लागत रू0 615.32 लाख के प्राक्कलन पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत पूर्व में शासनादेश संख्या 206/उ0जी0स (2)/05-02(52पे0)/2002, दिनांक 30 जून, 2005 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 125.00 लाख को कम करते हुए प्राक्कलन की अवशेष धनराशि रू0 490.32 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 279.59 लाख (रू0 दो करोड़ उन्नासी लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त तीन किश्तों में आहरित किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचरों की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत ब्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार,

क्रमशः...2

उत्तरांचल को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.06 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4— गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का राज्य सरकार की वचनबद्धता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेखों का रखरखाव योजनावार अलग–अलग किया जायेगा ।

5— स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए–2–87(1)दस–97–17(4)75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि सहित सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा। इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय।

6— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7— उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का 30.03.2006 तक उपयोग करके वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जो धनराशि दिनांक 31.03.2006 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

9— उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत अनुदान संख्या –13 के लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई– आयोजनागत–106–वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज–I एवं II)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–193/XXVII(2)/2005 दिनांक 14 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

/

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्याः– ३९२ (2)/उन्नीस (2)/06/02(52पे0)/2002,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।

2–आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौढी।

3–जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार

4–कोषाधिकारी, देहरादून।

5–परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,उत्तरांचल पेयजल निगम हरिद्वार

6–वित्त अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग/बजट सेल। ।

7–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल शासन को मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

8–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।

9–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

10–गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 352 / उन्तीस(2) / 06 / 02–(52पे0) / 2002,
दिनांक 16 फरवरी, 2006 का संलग्नक

मदवार स्वीकृत विवरण

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	योजना का नाम	प्राक्कलन में प्राविधानित धनराशि	टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई स्वीकृत राशि
1	अपडेटिंग स्टाफ पर व्यय	179.81	167.00
2	भवनों के रखरखाव का कार्य	55.56	55.00
	1–पम्पिंग प्लांट तथा जननेटर की मरम्मत		
	2–राईजिंग मैन का रखरखाव	02.51	1.75
3	पावर एण्ड लुर्बीकेन्टस		
	1–विद्युतीकरण हेतु	89.73	89.73
	2–डीजल तथा लुर्बीकेन्टस	38.40	38.40
4	अतिरिक्त स्टाफ हेतु	17.09	17.09
5	नाले की सफाई तथा टैपिंग	12.71	12.70
6	सम्प तथा एस0डी0वी0 का रखरखाव	88.80	40.00
7	गाडियो का रखरखाव	07.65	04.00
8	पुराने पम्पिंग प्लाट का बदलना	87.05	35.50
9	सीवरेज का रखरखाव तथा मरम्मत कार्य	112.70	89.85
10	इक्यूपमेन्टस केमिकल आदि हेतु	03.64	03.00
11	सैन्टेज 12.5 प्रतिशत	91.54	69.25
	योग:–		623.27
12	वार्षिक प्राप्ति को कम करते हुए		–07.95
	शुद्ध योग		615.32

(रू0 छः करोड़ पन्द्रह लाख बत्तीस हजार मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव